अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 266(II) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

18/10/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0 दिनांक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा0म0निति - 119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या - 914 / रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम मे हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा मालुकडीह थाना नं0 58 खाता नं0 150
प्लॉट नं0 750 रकवा 0.45 एकड की
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... के पृष्ट संख्या 447 पर जमाबंदी रैयत बैजनाथ रविदास के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करे, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 3/11/16 को उपस्थापित करे।

18/X

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

Scanned with CamScanner

27|11|2020

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा मानुडीह मौजा नं0 58 खाता नं0 150 प्लॉट नं0 750 से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी II के जमाबंदी भोलुम नं0 .... के पृष्ट सं0 447 में रैयत वैद्यनाथ रविदास पिता केशव महरा सा0 – मानुडीह, तोपचाची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। रकबा 0.45

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त .... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

266(II)16-17.

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– बैजनाथ रविदास पिता केदार महरा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :– सा० बघौल रजवा

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बघौल	58	150	750	0.45

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या................ पृष्ठ सं०–............ पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 84-85
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– बकाश्त सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है –
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्ती (लगान वाद सं० 1 (II) 84-85 से कायम
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	067480	14.11.89	89-90
2	1986649	18.4.06	2003-04 से 2005-06

[signatures] 18/X

266(ii) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950) ...तोपचाँची(धनबाद)

बनाम

सूचना

द्वारा तामिला किया गया ... नोटिस ... अधिकार

पिता – ...

ग्राम – ... पो०

थाना – ... जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा ... थाना न0 58 खाता न0 150 प्लॉट न0 750 रकबा 0.45 एकड से संबधित आपके नाम से हल्का न0 II के पजी II भाग ... के पृष्ठ ... पर दर्ज जमाबदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनाक ...11/16 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

अंचल अधिकारी

तोपचॅची

18/10/16

तिथि – 18/10/2016

मुहर

अंचल अधिकारी का कार्यालय तोपचाँची, धनबाद

स्थान – तोपचॉची

L.T.I

...देवी

पत्नी को सिगनेचर